मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग

क्रमांक 25/5/39/10/3. भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर, 91.

प्रति,

1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (मध्यप्रदेश)
2- समस्त वन मण्डल अधिकारी, (सामान्य) (मध्यप्रदेश)

विषय:- तेन्दूपत्ता अनुज्ञा पत्र जारी करने के संबंध में ।

— xx —

जैसा कि आप भली भाँति जानते है पिछले 3 वर्षों से तेन्दूपत्ता का क्रय एवं संग्रहण सहकारी संस्थाओं के मार्फत लघु वनोपज संघ के द्वारा किया जा रहा है । संग्रहित पत्ता या तो भण्डार गृह निगमों के गोदामों में अथवा स्वयं वन विभाग/लघु वनोपज संघ के नियंत्रण अधीन गोदामों में रखा जाता है । गोदामीकृत पत्ते का निर्वर्तन निविदा आमंत्रित कर अथवा नीलामी के द्वारा किया जाता है । सफल क्रेता के द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार किश्तें पटानेपर उसे उसके द्वारा क्रय किये गये तेन्दू पत्ता का परिदान आदेश एवं परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है।
परिदान लेने के उपरान्त सफल क्रेता को मध्यप्रदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार - विनियमन) नियमावली 1966 के तहत आवश्यक अनुज्ञा पत्र टी पी 2 अथवा टी पी. 4 (मुख्य) एवं टी पी 4 (सहायक) भी प्राधिकृत अधिकारियों से लेना होता है । बिना ऐसे अनुज्ञा पत्र के प्राप्त किये उसके द्वारा किसी भी परिदत्त मात्रा का परिवहन/निकासी नहीं की जा सकती ।

2- कुछ समय से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि किस्तों का भुगतान होने के उपरान्त परिदान आदेश दिये जाने के बावजूद क्रेताओं को पत्ते के परिदान एवं उसकी निकासी में नाना प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, जिसके कारण क्रय किये गये तेन्दू पत्ते की निकासी में बहुत विलम्ब होता है और अकारण व्यापारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । शिकायतें इस प्रकार की हैं कि या तो अनुज्ञा पत्र समय पर जारी नहीं किये जाते या निकासी देने के लिये संबंधित अधिकारी गोदाम पर उपस्थित नहीं होते या परिदान के उपरान्त आवश्यक टी.पी. जारी करने वाला अधिकारी उपलब्ध नहीं होता ।

इस प्रकार की शिकायतों से न केवल विभाग की छवि खराब होती है बल्कि पत्ते के विक्रय हेतु आमंत्रित निविदाओं से प्राप्त निविदा दरों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है । अत: यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस प्रकार की शिकायतों को दूर किया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि परिदान किये जाने वाले तेन्दूपत्ते की निकासी में कोई अड़चन न आये और यह कार्य सुगमता से यथा समय हो ।

3- सर्व प्रथम तो यह स्पष्ट करना उचित होगा कि यह, वन मण्डल अधिकारियों की, जो कि विभिन्न जिला वनोपज संघ यूनियनों के प्रबंध संचालक भी है, प्राथमिक एवं व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि जिस व्यापारी के द्वारा किश्तों का भुगतान कर दिया गया हो उसको प्राप्त होने वाले तेन्दूपत्ते के परिदान एवं निकासी में किसी प्रकार की अड़चन न आये । यदि इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो यह केवल इस बात का प्रतीक है कि वन मण्डल अधिकारी अपने दायित्व को ठीक प्रकार से नहीं निभा रहे हैं और उनका अपने अधीनस्थ अमले पर समुचित नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण नहीं है । शासन यह अपेक्षा करता है कि समस्त वन मण्डल अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझें और उपयुक्त व्यवस्था करने की कार्यवाही करें ।

4- व्यापारियों को यथा समय परिदान एवं निकासी की सुविधा उपलब्ध हो उसके लिये निम्न उपाय/प्रक्रिया अपनायी जाना आवश्यक है । इनका कड़ाई से पालन किया जाए :-

1. जैसे ही किसी किश्त का भुगतान व्यापारी के द्वारा किया जाता है तो तत्काल उसको परिदान आदेश जारी किया जाए। परिदान आदेश के साथ-साथ टी पी 2 अथवा टी.पी. 4 (मुख्य) जो भी जारी करना हो अनिवार्य रूप से जारी किया जाए यदि व्यापारी ने इस हेतु गन्तव्य स्थान दर्शाते हुए आवेदन दे दिया हो। अर्थात् आवश्यक ट्रान्जिट पास वन मण्डल अधिकारी द्वारा परिदान आदेश के साथ संलग्न कर दिया जाना चाहिए।

— 3 —

2- टी॰पी॰-2 एवं टी॰पी॰-4 (मुख्य) वन मण्डल अधिकारी जारी करने के लिये प्राधिकृत हैं। टी॰पी॰-2 जारी करने के अधिकार वन मण्डल अधिकारी किसी अधीनस्थ अधिकारी को सौंप सकते हैं। यह अधिकार वह तत्काल किसी सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारी को अब सौंपें यदि यह अभी तक उनके द्वारा न किया गया हो तो ताकि उनकी गैर हाजरी में भी यह टी॰पी॰ जारी किया जा सके। अधीनस्थ अधिकारियों को टी॰पी॰-4 (मुख्य) जारी करने के लिये प्राधिकृत करने के अधिकार प्रत्यायोजित करने का प्रावधान अलग से नियम में संशोधन कर किया जा रहा है। नियम में संशोधन हो जाने पर ये टी॰पी॰ जारी करने के अधिकार भी वन मण्डल अधिकारी किसी सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारी — प्रत्यायोजित कर सकेंगे। ये अधिकार वह अपने कार्यालय में पदस्थ किसी सहायक वन संरक्षक को अपनी गैर हाजिरी में जारी करने के लिए सौंपे। यदि वन मण्डल अधिकारी स्वयं के कार्यालय में सहायक वन संरक्षक स्तर का अधिकारी पदस्थ न हो तो वह अपने मुख्यालय पर पदस्थ उप वन मण्डल अधिकारी को इस प्रकार अधिकृत कर सकते है।

3- ऐसे गोदाम जो कि वन विभाग/लघु वनोपज संघ की व्यवस्था के अधीन हैं उनसे निकासी देने के लिये उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। इस हेतु गोदाम पर सुबह 8 बजे से निकासी देने वाला अधिकारी उपस्थित होना चाहिए। निकासी देने वाले अधिकारी को, जो कि सामान्यतः वनपाल के स्तर के नीचे का न हो, को टी॰पी॰-4 सब्सीडरी देने का अधिकार होना चाहिए। अर्थात् वन मण्डल अधिकारी ऐसे अधिकारियों को यह टी॰पी॰ जारी करने के लिये अधिकृत करें। सामान्य प्रक्रिया यह होना चाहिये कि जो अधिकारी पत्ते का परिदान देता है वह ही यह टी॰पी॰ जारी करें।

यह आवश्यक नहीं है कि टी॰पी॰–4 सब्सीडरी वन मण्डल अधिकारी स्वयं जारी करें परन्तु यदि वह यह सुनिश्चित कर सकते हो कि वह जिस दिन परिदान दिया गया है उसी दिन बिना विलम्ब के यह टी॰पी॰ स्वयं जारी कर सकते हैं तो वह यह अधिकार अपने पास रख सकते हैं । परन्तु ऐसा वह अपने मुख्यालय पर स्थित गोदामों के लिए ही कर सकेगा। उनके मुख्यालय से परे स्थित गोदामों के लिये तो उन्हें किसी न किसी अधिकारी को ये अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिये अधिकृत करना ही होगा । ऐसे गोदामों के लिये जो कि उनके मुख्यालय से परे परन्तु रेन्ज अधिकारी अथवा उप वन मण्डल अधिकारी के मुख्यालय पर स्थित है से परिदान की गई मात्रा के लिये अनुज्ञा पत्र(टी॰पी॰–4 सब्सीडरी) जारी करने का अधिकार ऐसे अधिकारी को भी दिया जा सकता है । किस अधिकारी को कौन से गोदाम के पत्ते के लिये यह अनुज्ञा पत्र जारी करने का अधिकार दिया जाए वन मण्डल अधिकारी पर अन्ततः निर्भर है परन्तु वह जो भी व्यवस्था करें उससे यह सुनिश्चित करें कि परिदान समाप्त होने के तत्काल पश्चात् अनुज्ञा पत्र जारी कर दिया जाए । अनुज्ञा पत्र जारी करने वाले अधिकारी के लिये आवश्यक होगा कि वह उसके द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा पत्रों की प्रतिलिपि मय परिदत्त किये गये बोरों की सूची के साथ तत्काल वन मण्डल अधिकारी को प्रेषित करें । जो इस कार्य पर समुचित नियंत्रण।निगरानी रखें।

4– ऐसे गोदाम जो कि भण्डार गृह निगमों के है से परिदत्त मात्रा के अनुज्ञा पत्र(टी॰पी॰–4 सब्सीडरी)जारी करने के अधिकार वन मण्डल अधिकारी संबंधित वेयर हाउस के मैनेजर को दें । प्रत्येक वेयर हाउस मैनेजर जैसे ही तेन्दू पत्ते का परिदान देता है तो उसके साथ ही उक्त अनुज्ञा

पत्र अर्थात् टी॰पी॰-4 सब्सीडरी मय परिदत्त किये गये बोरों की सूची के व्यापारी को दें और इस प्रकार जारी किये गये टी॰पी॰ एवं सूची की प्रतिलिपि तत्काल वन मण्डल अधिकारी को अग्रेषित करें। उचित होगा कि यथा सम्भव भण्डार गृह निगम के गोदामों से जब परिदान दिया जाता है तो उस समय वन मण्डल अधिकारी का भी कोई प्रतिनिधि उपस्थित रहे। परन्तु यह आवश्यकताअनिवार्य नहीं है । अर्थात् यदि वन मण्डल अधिकारी का प्रतिनिधि परिदान देने के समय किसी आवश्यक कार्यवश उपस्थित नहीं रह सकता तो परिदान स्वयं वेयर हाऊस मैनेजर के द्वारा दिया जा सकता है । वन मण्डल अधिकारी संबंधित वेयर हाऊस मैनेजर को परिदान देने की प्रक्रिया तथा अनुज्ञा पत्र जारी करने की पद्धति से अवगत करायें और उन्हें ठीक प्रकार से प्रशिक्षण इस हेतु दें क्यों कि अन्तत: सुगम परिदान एवं निकासी की जिम्मेदारी उन्हीं की है। इस प्रशिक्षण में विभिन्न प्रकार के रिकार्डस के रखरखाव तथा अनुज्ञा पत्र को किस प्रकार भरा जायेगा की जानकारी भी शामिल है । विशेष कर इस बात को भली भाँति समझाया जाये कि परिदान देने में बोरों को व्यापारी के द्वारा चुनने नहीं दिया जा सकता ।

5. यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना उचित होगा कि तेन्दूपत्ता स्टॉक जिस वन मण्डल से संबंधित है उस मण्डल का वन मण्डल अधिकारी ही ऐसे तेन्दू पत्ते के स्टाक के लिये अनुज्ञा पत्र इत्यादि जारी करने का अधिकारी है । अर्थात् यदि किसी वन मण्डल का पत्ता उस वन मण्डल की सीमा के बाहर दूसरे वन मण्डल के क्षेत्र में रखा गया हो तो ऐसे स्टाक के लिये अनुज्ञा पत्र जारी करने अथवा अनुज्ञा पत्र जारी करने के अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने के अधिकार उसी वन मण्डल अधिकारी को है न कि स्थानीय वन मण्डल अधिकारी को जिसके क्षेत्र में पत्ता रखा गया हो । उदाहरण के रूप में यदि -

रीवा वन मण्डल का सीमित भाग सतना के सीमा में रखा हुआ है तो उसके लिये अनुज्ञा पत्र जारी करने या अपने अधिकार प्रत्यायोजित करने के लिये स्वयं वन मण्डल अधिकारी, रीवा ही प्राधिकृत है न कि वन मण्डल अधिकारी, सतना ।

(एन. एस. सेठी)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग,

पृ०क्र० 26/6/89/10/3, भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर, 1991.

प्रतिलिपि:-

1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल ।
2- मुख्य वन संरक्षक, (लघु वनोपज) मध्यप्रदेश भोपाल ।
3- प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल ।

समस्त जिलाध्यक्ष (भिन्ड जिले को छोड़कर) मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग,

---

सेन: